न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 01/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
श्रीमती चंचल देवी पत्नी पन्नालाल जाति माली निवासी खोडो का मोहल्ला, समाज कल्याण छात्रावास के पास, नकाश गेट, नागौर।		1.तहसीलदार, नागौर। 2.भू–अभिलेख निरीक्षक, जोधियासी तहसील नागौर। 3पटवारी हरीमा तहसील नागौर। 4भू–अभिलेख निरीक्षक भदाणा तहसील नागौर। 5पटवारी अमरपुरा तहसील नागौर। 6पटवारी बालवा तहसील नागौर। 7पटवारी सिणोद तहसील नागौर। 8पटवारी भदाणा तहसील नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री गोपाल आचार्य अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांक:30.07.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 02/2017 सरकार बनाम श्रीमती चंचल में निर्णय दिनांक 30.01.17 के तहत मौजा हरीमा के खसरा नं. 96 रकबा 0.01 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.01.19 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 17.01.19 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण संख्या 02/2017 सरकार बनाम श्रीमती चंचल देवी के निर्णय दिनांक 30.01.17 की फोटोप्रति, मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति, जमाबंदी खतौनी संवत 2067–70 की फोटोप्रति, ग्राम हरीमा संवत 2067–70 की खेवट खतोनी की फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस किश्तवार की फोटोप्रति, विधिक नोटिस दिनांक 2.11.18 की फोटोप्रति, विधिक नोटिस दिनांक 22.12.18 की फोटोप्रति, तहसीलदार नागौर की पत्रावली सं. 2/17 की फोटोप्रति तथा रेस्पोडेन्ट्स की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 25.2.19 की प्रति, ग्राम हरीमा की नकल खतोनी संवत 2067–70 तथा नक्शा ट्रेस किश्तवार हरीमा की प्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमी मानते हुए दिनांक 30.1.17 को निर्णीत किया गया था। जिसकी पालना दिनांक 14.06.18 को की जाकर प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि मे निर्मित निर्माण को विधि विरूद्ध ढंग से जेसीबी ले जाकर तोडा गया जिससे प्रार्थिया को करीब 50,00,000/– रू. अक्षरे पचास लाख रू. की क्षति उत्पन्न हुई तथा प्रार्थिया द्वारा निर्णय दिनांक 30.01.17 की प्रति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मांगी जाने पर नही दी गई। जिससे व्यथित प्रार्थिया द्वारा सूचना के अधिकार के तहत निर्णय दिनांक 30.01.17 की प्रति प्राप्त की। ऐसी सूरत मे प्रार्थिया

अपर कलक्टर, नागौर

उक्त निर्णय के विरूद्व अपील अंदर मियाद अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कर सकी। ऐसी सूरत मे उक्त अपील की लिमिटेशन कन्डोन किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

मियाद प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.01.17 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 21.08.18 को प्राप्त हो गई तथा नकल प्राप्ति के पांच माह पश्चात् यह अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि विलंब के लिये प्रत्येक दिन की देरी का कारण बताना जरूरी है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की नकल किस तारीख को प्राप्त की। ऐसा प्रार्थना पत्र मे कही भी उल्लेख नही किया। जिससे अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर चलने योग्य नही होने से निरस्त की जानी चाहिये।

वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व ग्रामवासियो की शिकायत के आधार पर दिनांक 16.01.17 को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत खसरा नं. 96 रकबा 0.01 बीघा गै.मु. रास्ते की भूमि का अतिक्रमी माना जाकर निर्णय दिनांक 30.01.17 जारी किया जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–उक्त निर्णय किये जाने से पूर्व अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं. 75, 951/94 बाबत पत्थरगढी/सीमाकंन किया जाना बाबत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.01.17 को प्रस्तुत किया था। यदि उक्त भूमि पेमाईश करवाने बाबत प्रार्थना पत्र राजस्व कर्मचारियो द्वारा सीमाकंन किया जाकर पत्थरगढी का आदेश कर दिया जाता तो अपीलार्थी अतिक्रमी घोषित नही होता। लेकिन उक्त पेमाईश बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नजरअंदाज कर अपीलार्थी के विरूद्व दिनांक 30.01.17 को अतिक्रमी घोषित करते हुए निर्णय किया है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत उक्त खसरान पर कटानी रास्ते का अतिक्रमी मानते हुए तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया गया। उक्त नोटिस का जवाब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.01.17 को दिया गया। उक्त जवाब को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर विधि विरूद्व ढंग निर्णय पारित किया गया, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया और न ही मौके पर उक्त कृषि भूमि संबंधी नाप चोप किया गया तथा ग्रामवासियो एवं पटवारी रिपोर्ट को आधार मानते हुए उक्त निर्णय पारित किया, जो निरस्तनीय है।

{2}(V)–दिनांक 30.01.17 जारी किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय की प्रति अपीलार्थी को नही दी तथा उक्त निर्णय की पालना किये जाने बाबत दिनांक 11.06.17 को अतिक्रमण हटाने हेतु टीम गठित करने का आदेश पारित किया गया। जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.06.18 को जवाब देते हुए अतिक्रमी नही होने बाबत आश्वस्त किया। लेकिन गठित टीम मे समस्त पटवारी एवं आरआई जाट समाज व्यक्ति है एक ही जाति के होने से बिना किसी विधिक औचित्य के दिनांक 14.06.18 को अतिक्रमण हटाने हेतु रास्ते पर निर्मित कमरे एवं धर्मकांटे को जेसीबी द्वारा तोडफोड कर ध्वस्त कर दिया। जबकि अपीलार्थी द्वारा निर्मित कमरा अतिक्रमण क्षेत्र मे नही आता है एवं कटानी रास्ता उक्त कमरे से चालीस फीट पीछे की तरफ नाप मे आता है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया न्यायालय निर्णय विधि विरूद्व होने के बावजूद भी निर्णय की प्रति प्राप्त नही होने से अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत नही कर पाया एवं उक्त निर्णय की पालना करते हुए दिनांक 14.06.18 को अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मे निर्मित कमरे का एवं कमरे का ताला तोडकर विडियो ग्राफी कर धर्मकान्टा सहित पक्के निर्माण का तोडफोड कर दिया एव कमरे को ध्वस्त कर दिया। जिससे अपीलार्थी को करीब 50,00,000/– रू. अक्षरे पचास लाख रू. का नुकसान हुआ तथा अपीलार्थी को नुकसान पहुचाने की नियत से निर्णय पारित कर निर्णय की पालना की जो विधि विरूद्व है।

{2}(VI)–उक्त निर्णय दिनांक 30.01.17 की पालना पक्के कन्ट्रेक्शन को जेसीबी द्वारा तोडकर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए दिनांक 14.06.18 को पालना की। जबकि निर्णय की पालना से पहले जिला कलक्टर को सूचित किया जाना आवश्यक था। जबकि रेस्पोडेन्टगणो द्वारा बिना सूचित किये कार्यवाही की है, जो विधि विरूद्व होने से अपीलार्थी द्वारा एक विधिक नोटिस दिनांक 02.11.18 को अपने अधिवक्ता द्वारा प्रेषित किया। जिसका रेस्पोडेन्टगणो द्वारा कोई जवाब नही दिया गया तथा इसके पश्चात दूसरा नोटिस दिनांक 22.12.18 को दिया गया लेकिन इस बाबत भी अधीनस्थ न्यायालय एवं रेस्पोडेन्टस द्वारा कोई जवाब

अतिरिक्त कलक्टर सांचौर

नही दिया गया। अतः यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि –

{3}(I)–वर्तमान मे अपीलार्थी चंचल के नाम मौजा हरीमा के खसरा नं. 75 रकबा 1.10 बीघा व खसरा नं. 951/94 रकबा 2.07.08 बीघा कुल 3.17.08 बीघा खातेदारी मे है। जबकि अपीलांट ने 4 बीघा भूमि होने का कथन किया है। नामान्तरकरण सं. 530 दिनांक 3.11.17 के द्वारा खसरा नं. 951/94 मे से नया खसरा नं. 1139/951 रकबा 0.02.12 बीघा गै.मु. सडक के नाम अवाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति मे चंचल देवी की खातेदारी भूमि 4 बीघा नही होकर 3.17.08 बीघा ही है। अपीलांट द्वार इन दोनो खसरो को क्रय करने के पश्चात अपने खसरो मे मिलाकर निर्माण करवाया गया है तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस देने के बावजूद जबरन सरकारी रास्ते की भूमि को खुर्द बुर्द करने की नियत से निर्माण कार्य करवाया गया है।

{3}(II)–अपीलांट द्वारा मौजा हरीमा में स्थित रास्ते भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलांट का पति पन्नालाल अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित भी हुआ है तथा उसके द्वारा अपीलांट की ओर से जवाब भी दिनांक 30.01.17 को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत होता है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 2/17 सरकार बनाम चंचल देवी मे पारित आदेश दिनांक 30.01.2017 की अपील दिनांक 07.01.2019 को प्रस्तुत की गई है। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके हरिमा के खसरा नंबर 96 रकबा 0.01 बीघा रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपील देरी से प्रस्तुत करने को लेकर मियाद हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। देरी माफ हेतु प्रत्येक दिन की देरी का कारण स्पष्ट करना होता है। अपीलांट को किस तारीख को आदेश जैर अपील की जानकारी हुई तथा उसके द्वारा किस तिथि को आदेश जैर अपील की प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया तथा उसे नकले कब मिली। ऐसा कोई दस्तावेजी आधार पर साबित नही है। बिना संतोषजनक कारण के विलम्ब माफ किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर अपीलांट की अपील चलने योग्य नही है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर